



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062026-273022
CG-DL-E-01062026-273022

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]
No. 23]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2026/JYAISHTHA 11, 1948

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

आ.अ. 23(अ).— यतः, महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार का स्थान जिनकी पदावधि 04.07.2028 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देने के कारण 06.05.2026 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है; अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 20 जून, 2026 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्विना बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख - 08 जून, 2026 (सोमवार);

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 09 जून, 2026 (मंगलवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख - 11 जून, 2026 (गुरुवार);

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा – 18 जून, 2026 (गुरुवार); और

(ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा – 20 जून, 2026 (शनिवार); नियत करता है; और

(इ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

[फा. सं. 100/रा.स.-महाराष्ट्र/02/2026 (1)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

O.N. 23(E).—WHEREAS, the seat of Smt. Sunetra Ajit Pawar, in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Maharashtra, has become vacant on 06.05.2026 by the reason of her resignation, before the expiration of her term of office which was up to and including 04.07.2028; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby-

- (A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of Maharashtra to elect, before 20th June, 2026 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) **appoints**, with respect to the said election;
- (a) the 08th June, 2026 (Monday), as the last date for making nominations;
- (b) the 09th June, 2026 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- (c) the 11th June, 2026 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 18th June, 2026 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 20th June, 2026 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) **fixes the hours** from **09:00 am to 04:00 pm**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[F. No. 100/CS-MT/02/2026 (1)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.